



राजस्थान सरकार
प्रारम्भिक शिक्षा विभाग

प. 19(2)प्राशि/राशिकबो/2020

जयपुर, दिनांक:

01 JUL 2020

सचिव,
राजस्थान शिक्षाकर्मि बोर्ड,
जयपुर।

विषय:- शिक्षाकर्मियों के मानदेय में 1 अप्रैल, 2020 से 15 प्रतिशत वृद्धि किये जाने बाबत।

महोदय,


उपर्युक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा बजट चर्चा के प्रत्युत्तर में की गई घोषणा के क्रम में शिक्षाकर्मियों के मानदेय में दिनांक 1 अप्रैल, 2020 से 15 प्रतिशत वृद्धि के साथ निम्नानुसार निर्धारित किये जाने की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है :-

क्रम संख्या	कार्यरत शिक्षाकर्मियों का विवरण	वर्तमान मानदेय की दर दिनांक 01.07.2018 से (प्रतिमाह)	15 प्रतिशत वृद्धि की राशि (प्रतिमाह)	15 प्रतिशत वृद्धि के बाद दिनांक 01.04.2020 से देय मानदेय राशि (प्रतिमाह)
1	वरिष्ठतम शिक्षाकर्मि	16972/-	2546/-	19518/-
2	वरिष्ठ शिक्षाकर्मि	14703/-	2205/-	16908/-
3	सामान्य शिक्षाकर्मि	9317/-	1398/-	10715/-

यह स्वीकृति वित्त (व्यय-1) विभाग की ID NO. 102002148 दिनांक 25.06.2020 से प्रदत्त सहमति के अनुसरण में जारी की जाती हैं।

www.rajteachers.com

राज्यपाल महोदय की आज्ञा से


(अनीता मीना)

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग।
3. शासन उप सचिव, वित्त (व्यय-1) विभाग/वित्त (बजट) विभाग को ID संख्या 102002148 दिनांक 25.06.2020 के क्रम में।
4. निदेशक, वित्त (बजट) विभाग।
5. मुख्य लेखाधिकारी, कार्यालय-निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
6. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, शासन सचिवालय जयपुर।
7. रक्षित पत्रावली।



(खेमाराम यादव)

सहायक शासन सचिव

प्रारम्भिक शिक्षा (संस्थापन) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।

कमरा नं. 1211, दुरभाष नं. 0141-2227661 ई-मेल-jseesec@gmail.com